तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२१.४.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार पप्पू पुत्र कजोड़ तथा मुरारीलाल पुत्र कजोड़ जाति बारेठ नाम का एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा मौके पर पहचान के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि दिखाया जाना अंकित किया है, जिनमें प्रार्थी का नाम मुरारीलाल पुत्र कजोड़ दर्ज है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देई पटवार हल्का देई तहसील नैनवां की खाता सं. 878 पुराना 857 के खसरा सं. 1845, 1846 की कृषि भूमि में अंकित "पप्पू आ० कजोड़" के स्थान पर "पप्पू उर्फ मुरारीलाल आत्मज कजोड़" [illegible] किये जाने के आदेश [illegible] जाते है। निर्णय [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested